रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1955] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2015/भाद्र 23, 1937
No. 1955] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2015/BHADRA 23, 1937

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2015

का.आ.2492**(अ)**.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ अठारहवां संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, -

(1) "संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ग. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग'' उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 13 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"14. भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)।";

(2) ''वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. व्यय विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 13 का लोप किया जाएगा;

(3) "नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1 की मद (ii) का लोप किया जाएगा।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/21/24/2015-मंत्रि.]

एस. जी. पी. वर्गीस, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2015

S.O.2492(E).-In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Eighteenth Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,-

(1) under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SANCHAR AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)", under the sub-heading, "C. DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI VIBHAG)", after entry 13, the following entry shall be inserted, namely:—

"14. Unique Identification Authority of India (UIDAI).";

(2) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF EXPENDITURE (VYAYA VIBHAG)", entry 13 shall be omitted;

(3) under the heading "NITI AAYOG (NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA)", in entry 1, item (ii) shall be omitted.

PRANAB MUKHERJEE
PRESIDENT

[F. No. 1/21/24/2015-Cab.]
S.G.P. VERGHESE, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर , 2015

का.आ.2493 (अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ उन्नीसवां संशोधन नियम, 2015 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,-

(i) "कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत,-

(क) भाग I में,प्रविष्टि 7, 8 और 9 का लोप किया जाएगा ;

(ख) भाग III में,

(अ) प्रविष्टि 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"19. कृषि क्षेत्र में सहयोग ।" ;

(आ) प्रविष्टि 21 और 23 का लोप किया जाएगा;

(ग) भाग IV में, प्रविष्टि 45, 47 और 51 का लोप किया जाएगा;

(घ) भाग IV और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित भाग और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"भाग V

55. सूखे, ओलावृष्टि और नाशक जीव कुप्रभाव, शीत लहर और पाले के कारण फसलों के नुकसान और आवश्यक राहत उपायों को समन्वय से संबंधित मामले ।

56. सूखे के कारण मानव जीवन को होने वाली हानि से संबंधित मामले ।

57. कृषि ऋण और ऋणग्रस्तता ।

58. फसल बीमा।

59. फसल अभियान,फसल प्रतियोगिताएं और कृषक संगठन जिसमें कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) सम्मिलित है ।

60. भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त कृषि संबंधी स्कीमें।

61. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मंडियों की स्थापना।

62. ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण,जिसमें ग्रामीण गोदाम भी हैं।

63. कृषक कल्याण हेतु स्कीमें।"।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा.सं. 1/21/25/2015-मंत्रि.]

एस. जी. पी. वर्गीस, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2015

S.O.2493(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Nineteenth Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the SECOND SCHEDULE,-

(1) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (KRISHI EVAM KISAN KALYAN MANTRALAYA), under sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE (KRISHI, SAHKARITA EVAM KISAN KALYAN VIBHAG)",—

(a) in PART I, the entries 7, 8 and 9 shall be omitted;

(b) in PART III,-

(A) for the entry 19, the following entry shall be substituted, namely:—

"19. Co-operation in agricultural sector";

(B) the entries 21 and 23 shall be omitted;

(c) in PART IV, the entries 45, 47 and 51 shall be omitted;

(d) after PART IV and the entries relating thereto, the following PART and entries shall be inserted, namely:—

"PART V

55. Matters relating to damage to crops and co-ordination of relief measures necessitated by drought, hailstorm and pest-attacks, cold wave and frost.
56. Matters relating to loss of human life due to drought.
57. Agricultural credit and indebtedness.
58. Crop Insurance.
59. Crop campaigns, crop competitions and farmers organisations including Farmer Producer Organisations.
60. Agricultural Schemes received from States and Union Territories for landless agricultural labour.
61. Setting up of agricultural markets in rural areas.
62. Warehousing in rural areas including rural godowns.
63. Schemes for welfare of farmers.".

PRANAB MUKHERJEE
PRESIDENT

[F. No. 1/21/25/2015-Cab.]
S.G.P. VERGHESE, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.